



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०, किला परिसर, मुंगेर।
(बिहार सरकार का उपक्रम)

मुख्य कार्यालय: "खाद्य भवन" दरोगा राय पथ, आर० ब्लाक रोड नं०-२ पटना-१

अल्पकालीन निविदा सूचना

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०, के अधीन बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के लिए परिवहन सह हथालन अभिकर्ता (मुख्य) की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

FCI डीपो से SFC के गोदामों तक विभिन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्नों, गन्नी बैग के परिवहन/हथालन कार्य के लिए अगले तीन वर्षों हेतु परिवहन सह हथालन अभिकर्ता (मुख्य) की नियुक्ति के लिए निविदा प्रपत्र की ब्रिकी, निविदा डालने एवं खोलने की तिथि निम्नवत है:-

मुंगेर जिला हेतु परिवहन सह हथालन अभिकर्ता (मुख्य) की आवश्यकता	निविदा प्रपत्र ब्रिकी की तिथि	प्री०-बिड मितिग की तिथि	निविदा डालने की तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	2	3	4	5
01	25.11.2017 से 30.11.2017 तक	04.12.2017	06.12.2017 अपराहन् 3:00 बजे तक	07.12.2017 3:00 बजे अपराहन्

निविदा प्रपत्र क्रय हेतु मुंगेर जिला के निगम कार्यालय राज्य खाद्य निगम मुंगेर के लेखा शाखा में उपर्युक्त निविदा प्रपत्र की ब्रिकी हेतु निर्धारित तिथियों को कार्यालय अवधि में 5000/- (पाँच हजार) रू० मात्र का जो लौटाने योग्य नहीं है, के भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना एवं शर्त निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त करने की जबाबदेही निविदादाताओं की होगी। निविदादाता अपनी निविदा निगम कार्यालय राज्य खाद्य निगम, मुंगेर के ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे।

1. FCI डीपो से SFC के गोदामों तक खाद्यान्न परिवहन करने के लिए परिवहन सह हथालन अभिकर्ता (मुख्य) की नियुक्ति हेतु निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता मुंगेर जिला के लिए DSD के तहत परिवहन हथालन सह आपूर्ति अभिकर्ता की नियुक्ति की निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
2. वैसे व्यक्ति या कम्पनी या फर्म जो राईस मिलर अथवा फ्लावर मिल मालिक है अथवा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता है अथवा जिन पर SFC का कोई बकाया है, वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
3. वैसे परिवहन अभिकर्ता जिन्हें SFC द्वारा काली सूची में डाला गया है, वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
4. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) की अधिसूचना 15 फरवरी 2013 के आलोक में लीज वाले प्रत्येक वाहन के लिए 1000/- (एक हजार) रू० मात्र ननजुडिसिल स्टॉम्प पेपर पर अलग-अलग एकरारनामा होना चाहिए। एक वाहन का एकरारनामा एक ही निविदादाता के पक्ष में होना चाहिए। यदि एक से अधिक निविदादाता के पक्ष में एक ही वाहन का एकरारनामा पाया जायेगा तो उस वाहन से संबंध सभी निविदादाताओं का निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
5. एकरारनामा में दर्ज निबंधित नम्बर वाले वाहन से ही खाद्यान्न का उठाव करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता के चयन के पश्चात् चयनित निविदादाता द्वारा अपने खर्च पर खाद्यान्न का परिवहन हेतु सभी वाहनों पर लोडसेल एवं सक्रिय जी०पी०एस० लगाना अनिवार्य होगा।
7. एकरारनामा तीन वर्षों के लिए किया जायेगा, किन्तु कार्य में असफल होने या कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में एकरारनामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकेगा।
8. निविदा संबंधी सभी आवश्यक जानकारी संबंधित जिला कार्यालय/निगम मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए मुंगेर जिला के वेबसाइट www.munger.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह०/—

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

SIZE 16X2=160 SQ CM
DOP-24.11.2017
RO NO-9672 DT-23.11.2017
HINDUSTAN, PATNA+BHAGALPUR
PRABHAT KHABAR, PATNA+BHAGALPUR